



कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी साक्षर भारत कार्यक्रम
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)



क्रमांक / 304 / सा0भा0 / संविदा नियुक्ति / 2016

सूरजपुर दिनांक

प्रति,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ0ग0)

विषय :- सूरजपुर जिले के साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत संविदा नियुक्ति संबंधी स्थायी चयन सूची / पदस्थापना आदेश संबंधी जानकारी विषयक।

संदर्भ :- जिला स्तरीय चयन समिति अनुमोदन दिनांक 29.08.2016 में पारित प्रस्ताव।


—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि, साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत संविदा नियुक्ति संबंधी स्थायी चयन सूची / पदस्थापना आदेश जारी की गई है।

अतएव उपरोक्तानुसार चयन सूची / पदस्थापना आदेश सूरजपुर जिले के वेबसाइट एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर जारी कर दिया गया है साथ ही सूची में सम्मिलित आवेदक अपने पदस्थापना स्थल पर 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(कलेक्टर महोदय एवं चयन समिति द्वारा अनुमोदित)



जिला परियोजना अधिकारी 16.9.16
साक्षर भारत कार्यक्रम
जिला सूरजपुर (छ0ग0)

पृ0क्र0 / 305 / सा0भा0 / संविदा नियुक्ति / 2016

सूरजपुर दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. संचालक एवं सदस्य सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला, सूरजपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।


जिला परियोजना अधिकारी 16.9.16
साक्षर भारत कार्यक्रम
जिला सूरजपुर (छ0ग0)



कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी साक्षर भारत कार्यक्रम
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)
आदेश



क्रमांक / 302 / सा0भा0 / संविदा नियुक्ति / 2016

सूरजपुर, दिनांक 16/09/2016

सचिवालय राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (SLMA) रायपुर के पत्र क्रमांक / 176 / रा.मा.मि. प्रा. / जि.व.वि.स्तरीय सेटअप / 2013-14 रायपुर दिनांक 27.06.2013 के द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तरीय सेटअप अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर नियुक्ति किये जाने निर्देशानुसार जिला स्तरीय चयन समिति सूरजपुर कलेक्टर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरान्त सहायक ग्रेड-03 के पद पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवार को वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 (एक मुश्त मासिक संविदा वेतन - 10612.00) संविदा पद के लिए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में अस्थाई रूप से एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है।


क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति / वर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	कुमारी यशोदा सोनी	स्व. कृष्णा प्रसाद सोनी	सामान्य	कार्यालय विकासखण्ड लोक शिक्षा समिति- रामानुजनगर जिला - सूरजपुर (छ0ग0)
2	श्री लक्ष्मणदास वैष्णव	स्व. तुलसी दास वैष्णव	सामान्य	कार्यालय विकासखण्ड लोक शिक्षा समिति- सूरजपुर, जिला - सूरजपुर (छ0ग0)
3	श्री शिवबरन सिंह	हरिनारायण सिंह	अ.ज.जा	कार्यालय विकासखण्ड लोक शिक्षा समिति- प्रेमनगर जिला - सूरजपुर (छ0ग0)
4	श्री तुलेश्वर सिंह	स्व. सोमारू राम	अ.ज.जा	कार्यालय विकासखण्ड लोक शिक्षा समिति- ओड़गी जिला - सूरजपुर (छ0ग0)
5	कुमारी लीलावती	श्री नवल साय	अ.ज.जा	कार्यालय विकासखण्ड लोक शिक्षा समिति- भैयाथान जिला - सूरजपुर (छ0ग0)
6	श्री शोभनाथ राजवाड़े	श्री शंकरराम राजवाड़े	अ.पि.व.	कार्यालय विकासखण्ड लोक शिक्षा समिति- प्रतापपुर जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित)

शर्तें:-

- कार्य पर उपस्थित होते समय संबंधित कार्यालय प्रमुख के समक्ष निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
 - शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र।
 - सूरजपुर जिले का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र।
 - जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण की स्थिति में) नियुक्ति तिथि से दो माह के भीतर छान-बीन समिति कार्यालय द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
 - रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र।
 - कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र।
 - मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र।
- संविदा पर पूर्णतः अस्थायी मिशन के कार्यकाल तक के लिये होगा। सेवा का स्वरूप संविदा रहेगा। मिशन में आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वार आंकन कर सेवा कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर सेवावधि में प्रति वर्ष वृद्धि की जावेगा।
- सभी संविदा नियुक्तियां अस्थायी है और केवल एक वर्ष के लिये दी जावेगी। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जिला चयन समिति द्वारा कि जावेगी। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी जिला लोक सेवा समिति सूरजपुर को होगा। इस पर किसी प्रकार का अभ्यावेदन या अपील ग्रहण योग्य नहीं होंगे।


04. संविदा पद पर चयनित अभ्यर्थी को निश्चित एवं समेकित वेतन दिया जाएगा। उन्हें अन्य किसी प्रकार का वेतन अथवा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
05. सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारियों को किसी प्रकार की पेंशन या अन्य राशि नहीं दी जाएगी।
06. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं बिना कारण बताये कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। अतः नियुक्त व्यक्ति कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष कार्यकारिणी जिला लोक शिक्षा समिति सूरजपुर को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
07. अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से पद पर नियुक्त व्यक्ति मानदेय वृद्धि और नियमितकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।
08. आदेश प्रसारित तिथि से 15 दिवस के अन्दर चयनित उम्मीदवार उनके नाम के सम्मुख पदस्थ किये कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
(कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित)


 जिला परियोजना अधिकारी
 जिला लोक शिक्षा समिति, सूरजपुर
 सूरजपुर, दिनांक 16/09/16

क्रमांक/ 303 /सा0भा0/संविदा नियुक्ति/2016

प्रतिलिपि:-

1. संचालक एवं सदस्य सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को सादर सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कर सूचित करने का कष्ट करेंगे।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
9. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
10. उप संचालक जन संपर्क सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत..... को सूचनार्थ।
12. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.....को सूचनार्थ।
13. विकासखण्ड परियोजना अधिकारी वि0ख0.....को सूचनार्थ।
14. सर्व संबंधित श्री/कु./श्रीमती.....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


 जिला परियोजना अधिकारी
 जिला लोक शिक्षा समिति, सूरजपुर



कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी साक्षर भारत कार्यक्रम
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)
आदेश



क्रमांक / 298 / सा0भा0 / संविदा नियुक्ति / 2016

सूरजपुर, दिनांक 16/09/06

सचिवालय राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (SLMA) रायपुर के पत्र क्रमांक / 176 / रा.मा.मि. प्रा./जि.व.वि.स्तरीय सेटअप/2013-14 रायपुर दिनांक 27.06.2013 के द्वारा जिला स्तरीय सेटअप अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर नियुक्ति किये जाने निर्देशानुसार जिला स्तरीय चयन समिति सूरजपुर कलेक्टर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरान्त सहायक ग्रेड-02 (लेखापाल) के पद पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवार को वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 (एक मुश्त मासिक संविदा वेतन - 13776.00) संविदा पद के लिए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में अस्थाई रूप से एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है।


क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति /वर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	कु. पुनीता राजवाड़े	श्री रामप्रसाद राजवाड़े	अ.पि.वर्ग	कार्यालय जिला लोक शिक्षा समिति- सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित)

शर्त:-


- कार्य पर उपस्थित होते समय संबंधित कार्यालय प्रमुख के समक्ष निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
 - शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र।
 - सूरजपुर जिले का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र।
 - जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण की स्थिति में) नियुक्ति तिथि से दो माह के भीतर छान-बीन समिति कार्यालय द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
 - रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र।
 - कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र।
 - मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र।
- संविदा पर पूर्णतः अस्थायी मिशन के कार्यकाल तक के लिये होगा। सेवा का स्वरूप संविदा रहेगा। मिशन में आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वार आंकन कर सेवा कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर सेवावधि में प्रति वर्ष वृद्धि की जावेगा।
- सभी संविदा नियुक्तियां अस्थायी है और केवल एक वर्ष के लिये दी जावेगी। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जिला चयन समिति द्वारा कि जावेगी। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी जिला लोक सेवा समिति सूरजपुर को होगा। इस पर किसी प्रकार का अभ्यावेदन या अपील ग्रहण योग्य नहीं होंगे।
- संविदा पद पर चयनित अभ्यर्थी को निश्चित एवं समेकित वेतन दिया जाएगा। उन्हें अन्य किसी प्रकार का वेतन अथवा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारियों को किसी प्रकार की पेंशन या अन्य राशि नहीं दी जाएगी।
- संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं बिना कारण बताये कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। अतः नियुक्त व्यक्ति कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष कार्यकारिणी जिला लोक शिक्षा समिति सूरजपुर को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।

07. अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से पद पर नियुक्त व्यक्ति मानदेय वृद्धि और नियमितकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।
08. आदेश प्रसारित तिथि से 15 दिवस के अन्दर चयनित उम्मीदवार उनके नाम के सम्मुख पदस्थ किये कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
(कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित)


जिला परियोजना अधिकारी 16.9.16
जिला लोक शिक्षा समिति, सूरजपुर
सूरजपुर, दिनांक 16.9.2016

क्रमांक / 299 / सा0भा0 / संविदा नियुक्ति / 2016
प्रतिलिपि:-

1. संचालक एवं सदस्य सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को सादर सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कर सूचित करने का कष्ट करेंगे।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
9. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
10. उप संचालक जन संपर्क सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत..... को सूचनार्थ।
12. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.....को सूचनार्थ।
13. विकासखण्ड परियोजना अधिकारी वि0ख0.....को सूचनार्थ।
14. सर्व संबंधित श्री/कु./श्रीमती.....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला परियोजना अधिकारी 16.9.16
जिला लोक शिक्षा समिति, सूरजपुर



कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी साक्षर भारत कार्यक्रम
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)



आदेश

क्रमांक / 300 / सा0भा0 / संविदा नियुक्ति / 2016

सूरजपुर, दिनांक 16/09/16

सचिवालय राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (SLMA) रायपुर के पत्र क्रमांक / 176 / रा.मा.मि. प्रा./जि.व.वि.स्तरीय सेटअप/2013-14 रायपुर दिनांक 27.06.2013 के द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तरीय सेटअप अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर नियुक्ति किये जाने निर्देशानुसार जिला स्तरीय चयन समिति सूरजपुर कलेक्टर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरान्त डाटा एण्ट्री आपरेटर के पद पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवार को वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2200 (एक मुश्त मासिक संविदा वेतन - 12194.00) संविदा पद के लिए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में अस्थाई रूप से एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है।

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति /वर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	विनेश कुमार यादव	श्री राम लाल यादव	अ.पि.वर्ग	कार्यालय जिला लोक शिक्षा समिति- सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित)

शर्त:-

- कार्य पर उपस्थित होते समय संबंधित कार्यालय प्रमुख के समक्ष निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
 - शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र।
 - सूरजपुर जिले का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र।
 - जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण की स्थिति में) नियुक्ति तिथि से दो माह के भीतर छान-बीन समिति कार्यालय द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
 - रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र।
 - कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र।
 - मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र।
- संविदा पर पूर्णतः अस्थायी मिशन के कार्यकाल तक के लिये होगा। सेवा का स्वरूप संविदा रहेगा। मिशन में आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वार आंकन कर सेवा कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर सेवावधि में प्रति वर्ष वृद्धि की जावेगा।
- सभी संविदा नियुक्तियां अस्थायी है और केवल एक वर्ष के लिये दी जावेगी। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जिला चयन समिति द्वारा कि जावेगी। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी जिला लोक सेवा समिति सूरजपुर को होगा। इस पर किसी प्रकार का अभ्यावेदन या अपील ग्रहण योग्य नहीं होंगे।
- संविदा पद पर चयनित अभ्यर्थी को निश्चित एवं समेकित वेतन दिया जाएगा। उन्हें अन्य किसी प्रकार का वेतन अथवा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारियों को किसी प्रकार की पेंशन या अन्य राशि नहीं दी जाएगी।
- संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं बिना कारण बताये कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। अतः नियुक्त व्यक्ति कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष कार्यकारिणी जिला लोक शिक्षा समिति सूरजपुर को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं सकेगा।

07. अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से पद पर नियुक्त व्यक्ति मानदेय वृद्धि और नियमितिकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।
08. आदेश प्रसारित तिथि से 15 दिवस के अन्दर चयनित उम्मीदवार उनके नाम के सम्मुख पदस्थ किये कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
(कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित)

16-9-16
जिला परियोजना अधिकारी
जिला लोक शिक्षा समिति, सूरजपुर

क्रमांक / 301 / सा0भा0 / संविदा नियुक्ति / 2016
प्रतिलिपि:-

सूरजपुर, दिनांक 16/09/16

1. संचालक एवं सदस्य सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को सादर सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कर सूचित करने का कष्ट करेंगे।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
9. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
10. उप संचालक जन संपर्क सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत..... को सूचनार्थ।
12. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी..... को सूचनार्थ।
13. विकासखण्ड परियोजना अधिकारी वि0ख0..... को सूचनार्थ।
14. सर्व संबंधित श्री/कु./श्रीमती..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

16-9-16
जिला परियोजना अधिकारी
जिला लोक शिक्षा समिति, सूरजपुर